<u>विस्तृत आख्या</u>

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में थौला से माड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 10.00 किमी. लम्बाई हेतु 8.346 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वांछित भूमि का विवरण (Discription of the Land Required) :– प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 333/।।। (2)/14–46 (प्रा.आ.)/2013, दिनांक 21.01.2014 द्वारा 10.00 किमी. लम्बाई हेतु रू. 62.42 लाख प्राप्त हुई है।

उपरोक्त 10.00 किमी. लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत् ह –

1. नाप भूमि :– 0.210 हे०।
2. आरक्षित वन भूमि :– 5.686 हे०।
3. सिविल भूमि :– 1.085 हे०।
4. मलवा निस्तारण :– 1.575 हे०।

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :– (5.686+1.085+1.575 = 8.346 हे०)

विदित हो कि ग्राम माड़ (न्यूखालसी) की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यकता नही है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण :– मोटर मार्ग में कुल 207 वृक्ष चीड़ प्रजाती के प्रभावित हो रहे है, जिसमें 207 वृक्षों में से 10–20 व्यास के 109 वृक्ष, 20–30 व्यास के 32 वृक्ष, 30–40 व्यास के 15 वृक्ष, 40–50 व्यास के 14 वृक्ष, 50–60 व्यास के 11 वृक्ष, 60–70 व्यास के 7 वृक्ष, 70–80 व्यास के 7 वृक्ष, 80–90 व्यास के 6 वृक्ष व 90 से अधिक व्यास के 6 वृक्ष आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण :– प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम माड़ (आबादी 200) ग्राम लाभान्वित हो रहा है। यह मार्ग विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि, सिविल भूमि एवं आरिक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य :– वर्तमान में ग्राम माड़ के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड़ हैड तक पहुचाने हेतु लगभग 8.00 किमी. की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों उचित चिकित्सा सेवायें नही मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है। मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लोगों से वंचित है तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामवासी अपने नगदी फसलों यथा संतरे, अदरख, आलू, नींबू इत्यादि को रोड़ हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है तथा उनके उत्पादों का उन्हे सही लाभ नही मिल पाता। मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने व साथ–साथ गांव से नव युवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 8.346 हे० वन भूमि, जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित

की गयी है, न्यनतम है तथा समरेखण को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि वृक्षों का न्यूनतम पातन हो। इस प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नही है, जिसमें इससे कम वृक्षों का पातन हो। वन भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर निर्माण किया जायेगा।

प्रसतावित मोटर मार्ग मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग से खालसी मोटर मार्ग के किमी0 3 से प्रारारम्भ होकर के ग्राम माड तक जायेगी जिसकी कुल लम्बाई 10.00 किमी0 है।

भूगर्भवेता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखण में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखण में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नही हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुये जनहित में 8.346 हे० वन भूमि को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,

3/10/17
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
3/10/17